हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला में हिंदी कार्यशाला का आयोजन

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा 12 सितम्बर 2018 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के लगभग 25 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में **श्री दिनेश धीमान**, आशुलिपिक ग्रेड-I ने राजभाषा राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियमों के बारे में पॉवरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि:

- राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3(3) का अनुपालन करें, जिसमें संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, करार, अनुज्ञप्तियां, निविदा प्रारूप आदि अनिवार्य रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी अर्थात् द्विभाषी किया जाना अनिवार्य है।

- हिन्दी में काम करते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जैसे **1,2,3,4,5**.... आदि का ही प्रयोग करें।
- फाइलों एवं रजिस्टरों पर शीर्षक हिन्दी में ही लिखें।

- रबर की मुहरें एवं नामपट्टिकाएं हिन्दी एवं अंग्रेजी अर्थात् द्विभाषी बनवाएं।
- अपने यात्रा व्यय पत्रक (TE Bills)एवं अन्य सभी प्रकार के आवेदन (All applications) आदि हिन्दी में ही प्रस्तुत करें।
- चेक (Cheques) हिन्दी में ही तैयार करें।
- कार्मिक/ मानव संसाधन विकास एवं अंतर विभागीय समस्त पत्राचार हिन्दी में ही करें।
- विधि विभाग से संबंधित पत्राचार आदि हिन्दी में ही करने के प्रयास करें।
- प्रत्येक विभागीय बैठक/ सम्मेलन आदि के बैनर, फोल्डर, नाम पट्टिकाएं, पंजीयन पत्रक, प्रस्तुतीकरण आदि हिन्दी में ही तैयार करें।
- प्रशिक्षण के दौरान जानकारी एवं प्रशिक्षण सामग्री अधिकतम हिन्दी में ही प्रदान करें।
- विभागीय एलटीएस/ एलएफसी एवं बच्चों की स्कूल फीस आदि के लिए आवेदन एवं पत्राचार हिन्दी में ही करें।
- लिफाफों पर प्राप्तकर्ता एवं प्रेषक का पता हिन्दी में ही लिखें (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)।
- डिस्पेच रजिस्टर में डाक हिन्दी में चढाएं तथा
- हिन्दी में भेजे जा रहे पत्रों के आगे H (हिंदी) लिखें तथा अंग्रेजी में भेजे जा रहे पत्रों के सामने कॉलम में E (अंग्रेजी) लिखें ताकि हिन्दी पत्राचार का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात हो सके।
- हिन्दी टंकण भी आसान है। बताया कि जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का टंकण नहीं आता वे टूल हिंदी टूल्स या यूनिकोड के माध्यम पर आसानी से हिंदी टंकण किया जा सकता है तथा गूगल हिंदी टूल्स के माध्यम से हिंदी टंकण पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित भी किया।

कार्यशाला के दौरान *भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्* द्वारा हाल ही में निर्देश दिए है कि संस्थान में **राजभाषा प्रगति निगरानी पंजिका** का गठन किया जाए। तदानुसार राजभाषा प्रगति निगरानी पंजिका का संस्थान में सुचारू रूप से लागू तथा कार्यान्वित करने पर विस्तृत चर्चा की गई तथा इस विषय पर सुझाव भी दिए गए।

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला
हिंदी परवाड़ा
1 से 14 सितम्बर, 2018

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला
हिंदी परवाड़ा
1 से 14 सितम्बर, 2018